

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941

No. 719]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 913(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. सं. 1136(अ), तारीख 15 जून, 1968 द्वारा प्रकाशित जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-1)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (बजट)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 913(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby rescinds with immediate effect the Public Provident Fund Scheme, 1968, published *vide* number G.S.R. 1136(E), dated the 15th June, 1968, except as respects things done and omitted to be done before such rescission.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budget)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 914(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं**— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “खाता” से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) “खाताधारक” से वह कन्या जिसके नाम से खाता धारित है, अभिप्रेत है;

(ग) “अधिनियम” से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) “जन्म प्रमाणपत्र” से नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या कोई कार्यालय जो जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (घ) में यथापरिभाषित भारतीय काउंसिल द्वारा जारी प्रमाणपत्र, अभिप्रेत है;

(ड.) “कुटुंब” से ऐसे व्यक्ति और उसके पति या पत्नी (दोनों या तो जीवित हैं या मृत) और उनके बच्चे चाहें दत्तक लिए गए हों या अन्यथा से संबद्ध इकाई अभिप्रेत है;

(च) “वित्तीय वर्ष” से निम्नलिखित वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(छ) “प्ररूप” इस स्कीम के अधीन संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ज) “साधारण नियम” से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(झ) “परिपक्वता” से खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।

3. **खाते का खोला जाना** – (1) कोई भी खाता कन्या के नाम से उसे किसी संरक्षक द्वारा खोला जा सकेगा जो खाते की खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो।

(2) प्रत्येक खाता धारक का इस स्कीम के अधीन एकल खाता होगा।

(3) खाता खोलने के लिए प्ररूप 1 में आवेदन कन्या के जन्म प्रमाणपत्र द्वारा संलग्नित होगा, संरक्षक के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जिसके नाम से खाता खोला जाना है।

(4) इस स्कीम के अधीन खाता एक कुटुंब में अधिकतम दो कन्याओं के लिए खोला जा सकेगा :

परंतु दो से अधिक खाता किसी कुटुंब में खोला जा सकेगा यदि ऐसे बच्चे जन्म के प्रथम या द्वितीय प्रक्रम में पैदा हुए हों या दोनों ऐसे बच्चों के जन्म के समय में जुड़वा/तीन बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र के साथ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक ऐसे द्वितीय प्रक्रम के कन्या के जन्म के मामले में लागू नहीं होगा यदि कुटुंब के प्रथम जन्म के प्रक्रम में उत्तरजीवि दो या दो से अधिक कन्याएं हों।

4. **निक्षेप** – (1) कोई भी खाता कम से कम दो सौ पचास रुपये के आरंभिक निक्षेप के द्वारा और उसके पश्चात् पचास रुपये के गुणक में खोला जा सकेगा तत्पश्चात् किए गए निक्षेप इस शर्त के अधीन पचास रुपये के गुणक में कम से कम दो सौ पचास रुपये एक खाते में वित्तीय वर्ष में यथा निक्षेप के रूप में किया जा सकेगा।

(2) खाते में निक्षेपित कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक का निक्षेप यदि किसी त्रुटि के कारण स्वीकार किया गया है तो वह किसी ब्याज के लिए और जमाकर्ता को तत्काल वापिसी के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे।

(4) उप पैरा (1) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम में किसी खाते में निक्षेप नहीं किया गया है तो ऐसा खाता त्रुटि के अधीन समझा जाएगा।

परंतु त्रुटि के अधीन कोई खाता ऐसे त्रुटि के वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक निक्षेप के साथ त्रुटि के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये दंड के संदाय पर खाते को खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के पूर्ण होने तक किसी भी समय नियमित किया जा सकेगा।

(5) त्रुटि के अधीन खाते के मामले में, उप पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर यदि विनियमित नहीं किया गया है तो संपूर्ण निक्षेप त्रुटि की तारीख से पूर्व किए गए निक्षेपों सहित खाते के बंदी की तारीख तक स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज के लिए पात्र होगा।

5. **निक्षेप पर ब्याज** – (1) खाते में निक्षेप पर प्रतिवर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त किया जाएगा।

(2) महीने के पांचवे दिन और अंतिम दिन के बंदी के बीच खाते में न्यूनतम अधिशेष पर कलेंडर मास के लिए ब्याज विकलित होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर खाते में ब्याज प्रत्यय होगा और रुपये के अंश के ब्याज की कोई रकम निकटतम रुपये के साथ समायोजित की जाएगी और पचास पैसे या उससे अधिक की किसी रकम के उस उद्देश्य के लिए एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम की रकम को छोड़ दिया जाएगा।

(3) वित्तीय वर्ष के दौरान खाते के अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन के असंगत वित्तीय वर्ष के अंत पर ब्याज का प्रत्यय होगा।

6. **खाते का प्रचालन** – खाते धारक का 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक संरक्षक के द्वारा खाते का प्रचालन किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के द्वारा 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं उसके द्वारा खाते का प्रचालन किया जाएगा।

7. **खाते का समयपूर्व बंदी** – (1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर प्ररूप 2 में दिए गए आवेदन पर तत्काल बंद किया जाएगा और खाते में प्रत्यय पर अधिशेष और मृत्यु की तारीख तक उस में बताया ब्याज संरक्षक को संदत्त किया जाएगा।

(2) खाता धारक की मृत्यु की तारीख और खाते के बंदी की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज खाते में धारित अधिशेष के लिए ढाकघर बचत खाता की लागू दर पर संदत्त किया जाएगा।

(3) जहां लेखा कार्यालय इस बात से संतुष्ट है कि खाता धारक के जानलेवा बीमारी जैसे चिकित्सा सहयोग के आधार पर अत्यधिक प्रतिकर या खाता धारक के असम्यक कठिनाई के कारण खाते के प्रचालन में संरक्षक की मृत्यु के कारण, लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों पर आदेश द्वारा ऐसे बंद किए गए समयपूर्व खाते अनुज्ञात किए जा सकेंगे। स्कीम पर ऐसे लागू बकाये ब्याज के साथ खाते में बकाया अतिशेष खाताधारक या संरक्षक को, जैसे भी दशा में, संदत्त किया जाएगा :

परंतु इस उपपैरा के अधीन खाते के समयपूर्व खाते के खोलने की तारीख से पांच वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व बंदी नहीं होगी।

8. प्रत्याहरण – (1) प्ररूप 3 में दिए गए आवेदन पर प्रत्याहरण के लिए आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में रकम का अधिकतम पचास प्रतिशत तक खाताधारक के शिक्षा के उद्देश्य के लिए अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु ऐसे प्रत्याहरण खाताधारक के 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर या दसवीं पास होने पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञात की जाएगी।

(2) उप पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन ऐसे वित्तीय अपेक्षा को इंगित करते हुए ऐसे संस्थान से फीस रसीद या ऐसे शैक्षणिक संस्थान से खाताधारक का प्रवेश के प्रस्ताव को पुष्ट करने वाला प्ररूप दस्तावेजी प्रमाणपत्र के द्वारा संलग्निक होगा।

(3) उप पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा, उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम पांच वर्षों के लिए जो प्रतिवर्ष एक से अधिक नहीं होगा :

परंतु प्रत्याहरण की रकम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी की गई प्रवेश पत्र या सुसंगत फीस रसीद में दर्शाए गए प्रवेश के समय अपेक्षित अन्य भारों सहित फीस के खाते में वास्तविक अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करेगा।

9. परिपक्वता की बंदी – (1) खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता होगी।

(2) खाते की बंदी 21 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व भी अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि खाताधारक आवेदन द्वारा खाताधारक की आशयित शादी के कारण ऐसी बंदी के लिए अनुरोध करता है। यदि नोटेरी द्वारा शासकीय स्टैंप पेपर पर यह प्रमाणित किया जाता है कि शादी की तारीख पर आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है।

परंतु आशयित शादी की तारीख से एक माह पूर्व या शादी की तारीख से तीन माह पश्चात् ऐसे बंदी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) खाता धारक द्वारा प्ररूप 4 में किए गए आवेदन पर पैरा 5 के अधीन यथा लागू ब्याज के साथ बकाया अधिशेष खाताधारक को संदत्त होगा।

10. साधारण नियम का आवेदन –साधारण नियमों का उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे मामलों के संबंध में लागू होगा जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध न किया गया हो।

11. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार खाताधारक के किसी असम्यक कठिनाई के कारण इस स्कीम के उपबंधों के प्रचालन पर संतुष्ट हैं तो लिखित में अभिलिखित कारणों और आदेश द्वारा ऐसे उपबंध की अपेक्षा या ऐसे खाताधारक के संबंध में उपबंधों से छूट दे सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 3 का उप-पैरा (3) देखिए]
(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

-----आवेदक/आवेदकों
का फोटो चिपकाएं

श्रीमान,

मैं -----(आवेदक/संरक्षक) आपके डाकघर/बैंक में (स्कीम का नाम)..... के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ।

मैं-----रुपए/- -----(-----शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक-----तारीख-----आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूँ/हैं। मेरी/हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. जमाकर्ता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव) शब्दों में.....

2. संरक्षक/पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

3. संरक्षक का आधार संख्यांक

4. संरक्षक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

5. वर्तमान पता

.....

स्थायी पता

.....

6. संपर्क ब्यौरे

टेलीफोन नं.

मोबाइल नं.

ई-मेल आईडी-----

7. खाते का प्रकार _____ अवयस्क

8.. (*) जमाकर्ता के जन्म के ब्यौरे

(क) प्रमाणपत्र सं.

(ख) जारी होने की तारीख

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी

9. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत.....

2. पते का सबूत

.....

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाँब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र ;

10. खाते का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा:--

(क) संरक्षक द्वारा, जमाकर्ता के वयस्क होने तक

(ख) वयस्कता प्राप्त करने पर स्वयं जमाकर्ता द्वारा

11. नमूने हस्ताक्षर

1.

2.....

3.....

(नाम).....

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि देश के किसी डाकघर/ बैंक में क्रम संख्या । में उल्लिखित जमाकर्ता के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोला है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं और जमाकर्ता दोने भारत के निवासी /नागरिक हूँ और भविष्य में मेरे निवासी/नागरिकता प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होने पर लेखा कार्यालय को सूचित करने का वचन देता हूँ।

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूँ।

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

तारीख.....

नाम निर्देशन

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूँ/करती हूँ जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय.....(स्कीम का नाम) में संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)----- निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, श्री/श्रीमती/कुमारी-----
-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी-----को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय रकम को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----

नाम और पता-----

2. साक्षी का नाम-----

नाम और पता-----

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान:-----

तारीख:-----

डाक घर /बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता -----के नाम में तारीख -----को रु. -----के आरंभिक जमा के साथ -----
-----स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक-----तारीख-----द्वारा
खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक-----

नाम निर्देशन संख्यांक -----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 2

[पैरा 7 का उप-पैरा (1) देखिए]

(परिपक्वता पूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

श्रीमान,

1. मैं अपने खाता संख्यांक-----जिसमें -----रुपए (रुपए-----केवल) को परिपक्वता पूर्व बंद
करने की वांछा करता हूं। आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का
अनुरोध करता हूं।

कृपया मेरे बचत खाता संख्यांक-----स्थित -----(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का
प्रत्यय करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हों)

3. मैं घोषणा करता हूं कि जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है के उपबंधों की अनुपालना की गई है।
आवश्यक दस्तावेज, जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-

1.

2.

*प्रमाणित किया जाता है कि उपयोग के लिए प्रत्याहृत/ ऋण की रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

तारीख:.....

जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूछा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

संदाय के ब्यौरे

खाते में पात्र अतिशेष

काटी गई शास्ति की रकम.....रुपए

संदत्त की जाने वाली कुल रकम.....(अंकों में)

(शब्दों में).....

तारीख मुद्रा..... पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

रुपए------(अंकों में) -----(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए।

तारीख: जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठा छाप

प्ररूप 3

[पैरा 8 का उप-पैरा (1) देखिए]

(निकासी के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

श्रीमान,

मैं ------(जमाकर्ता/संरक्षक) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अपने खाते से निकासी के लिए आवेदन करता हूँ:-

खाता संख्यांक

निकासी के लिए आवेदित रकम

*प्रमाणित किया जाता है कि उपभोग के लिए निकासी की मांग की रकम के प्रयोग के लिए अपेक्षित है, जो जीवित है और अवयस्क है।

2. कृपया मेरे बचत बैंक खाता सं..... से निकासी की रकम प्रत्यय की स्थिति..... (खाता कार्यालय का नाम) करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट पाने वाले नाम चैक जारी करें।

या

कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)

3. प्रमाणित किया जाता है कि निकासी के अनुदान के लिए लागू सभी शर्तों की अनुपालना की गई है।

आवश्यक दस्तावेज जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-

1.

2.

तारीख

जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

.....प्रमाणित द्वारा.....

(अंगूठा छाप के मामले में प्रमाणन लागू)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

संदाय के ब्यौरे

खाते में उपभोग की गई रकम रु0.....

आरंभिक अभिदान की तारीख

तारीख, जब अंतिम निकासी अनुज्ञात थी

निकीस के लिए अनुदानित कुल रकम रु0.....

.....(अंकों में)

.....(शब्दों में)

तारीख मुद्रा..... पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए------(अंको में) -----(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए।

तारीख:

जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठा छाप

प्ररूप 4

[पैरा 9 का उप-पैरा (3) देखिए]

(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाक घर /बैंक का नाम-----

तारीख.....

खाता संख्यांक.....

1. मैं पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक-----स्थित -----
(खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से नीचे हो)

*प्रमाणित किया जाता है कि उपभोग के लिए निकासी /ऋण के लिए मांगी रकम ----- के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है।

जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

संदाय आदेश

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख-----

संदाय ब्यौरा

मूल रकम रुपए-----

(+) देय ब्याज रुपए-----

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----

कटौती, यदि कोई हो, रुपए-----

कुल देय रकम रुपए-----

रुपए -----(अंको में) -----(शब्दों में) का संदाय करें।

तारीख-----

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए----- (अंको में) ----- (शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-----
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए।

तारीख:

जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 914(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) This Scheme may be called the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

- (a) “account” means an account opened under this Scheme;
- (b) “account holder” means a girl child in whose name the account is held;
- (c) “Act” means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) “birth certificate” means birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Births and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);
- (e) “family” means a unit consisting of a person and his spouse (both or either of whom are alive or deceased) and their children, adopted or otherwise;
- (f) “financial year” means the period commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the following year;
- (g) “Form” means forms appended to this Scheme;
- (h) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (i) “maturity” means maturity of an account on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening.

(2) Words and the expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.

3. Opening of account.-(1) The account may be opened by one of the guardian in the name of a girl child, who has not attained the age of ten years as on the date of opening of the account.

(2) Every account holder shall have a single account under this Scheme.

(3) The application in Form-1 for opening an account shall be accompanied by birth certificate of the girl child in whose name the account is to be opened, along with required documents of guardian.

(4) An account under this Scheme may be opened for a maximum of two girl children in one family:

Provided that more than two accounts may be opened in a family if such children are born in the first or in the second order of birth or in both, on submission of an affidavit by the guardian supported with birth certificates of the twins/triplets regarding the birth of such multiple girl children in the first two orders of birth in a family:

Provided further that the above proviso shall not apply to girl child of the second order of birth, if the first order of birth in the family results in two or more surviving girl children.

4. Deposits.-(1) The account may be opened with a minimum initial deposit of two hundred and fifty rupees and in multiples of fifty rupees thereafter and subsequent deposits shall be in multiples of fifty rupees subject to the condition that a minimum of two hundred and fifty rupees shall be made as deposit in a financial year in one account.

(2) The total amount deposited in an account shall not exceed one lakh fifty thousand rupees in a financial year:

Provided that the deposit in excess of one lakh fifty thousand rupees in any financial year, if accepted due to any accounting error, shall not be eligible for any interest and be returned immediately to the depositor.

(3) Deposits may be made in the account till the completion of a period of fifteen years from the date of opening of the account.

(4) An account in which minimum amount as specified in sub-paragraph (1) has not been deposited shall be considered as an account under default:

Provided that an account under default may be regularised any time till completion of a period of fifteen years from the date of opening of account on payment of a penalty of fifty rupees for each year of default along with the minimum annual deposit in respect of the defaulted years.

(5) In case of an account under default, if not regularised within the time specified under sub-paragraph (4), then the whole deposit, including the deposits made prior to the date of default, shall be eligible for interest at the rate applicable to the Scheme till closure of the account.

5. Interest on deposit.-(1) Deposits in the account shall earn interest at the rate 8.4 per cent per annum.

(2) The interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in the account between the close of the fifth day and the end of the month. The interest shall be credited to the account at the end of each financial year and any amount of interest in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paise or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paise shall be ignored.

(3) Interest shall be credited at the end of the financial year irrespective of the change of the account office due to transfer of the account during the financial year.

6. Operation of account.-(1) The account shall be operated by the guardian till the account holder attains the age of eighteen years. The account shall be operated by the account holder herself after attaining age of eighteen years by submitting necessary documents.

7. Premature closure of account.-(1) In the event of death of the account holder, the account shall be closed immediately on application in Form-2, on production of death certificate issued by the competent authority and the balance at the credit of the account and interest due thereon till the date of death shall be paid to the guardian.

(2) Interest for the period between the date of death of the account holder and date of closure of the account shall be paid at the rate applicable on Post Office Savings Account for the balance held in the account.

(3) Where the accounts office is satisfied that in case of extreme compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the account holder or death of the guardian that the operation or continuation of the account is causing undue hardship to the account holder, it may, after complete documentation establishing the grounds for such closure, by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the account. Outstanding balance in the account with interest due as applicable to the Scheme shall be paid to the account holder or guardian, as the case may be:

Provided that no premature closure of an account under this sub-paragraph shall be made before completion of five years from the date of opening of the account.

8. Withdrawal.-(1) On an application in Form-3, withdrawal of upto a maximum of fifty per cent. of the amount in the account at the end of the financial year preceding the year of application for withdrawal, shall be allowed for the purpose of education of the account holder:

Provided that such withdrawal shall be allowed after the account holder attains the age of eighteen years or has passed tenth standard, whichever is earlier.

(2) The application for withdrawal under sub-paragraph (1) shall be accompanied by documentary proof in the form of a confirmed offer of admission of the account holder in an educational institution or a fee-slip from such institution indicating such financial requirement.

(3) The withdrawal under sub-paragraph (1) may be made in one lump sum or in instalments, not exceeding one per year, for a maximum of five years, subject to the ceiling specified in sub-paragraph (1):

Provided that the amount of withdrawal shall be restricted to the actual requirement on account of fee and other charges required at the time of admission as shown in the offer of admission or the relevant fee-slip issued by the educational institution.

9. Closure on maturity.-(1) The account shall mature on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening.

(2) The closure of the account may also be permitted before completion of twenty-one years if the account holder on an application makes a request for such closure for the reason of intended marriage of the account holder on furnishing of a declaration duly signed on non-judicial stamp paper attested by the notary supported with proof of age confirming that the applicant will not be less than eighteen years of age on the date of marriage:

Provided that no such closure shall be allowed before one month from the date of the intended marriage or after three months from the date of marriage.

(3) On an application in Form-4 by the account holder, the balance outstanding along with interest as applicable under paragraph 5 shall be payable to the account holder.

10. Application of General Rules.- Provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provisions have been made in this Scheme.

11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision or provisions in respect of such account holder, in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]


RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (3) of paragraph 3]

(Application for opening an account)

To
 The Postmaster/Manager



Sir,

I(Applicant/guardian) hereby apply for opening of an account under _____ Sukanya Samriddhi Account Scheme in your Post Office/Bank.

I _____ tender _____ herewith Rs...../-
 (Rs.....) in cash/Cheque/DD.
 No..... date..... as initial deposit. My particulars are as under:-

1. Name of the Depositor

 Date of Birth
 (DD / MM / YYYY)
 (In words).....
2. Name of Guardian
 Husband/Father /mother's name

 Date of Birth
 (DD / MM / YYYY)
 (In words).....
3. Aadhaar Number of guardian

4. Permanent Account Number (PAN) of guardian

5. Present Address

Permanent Address

6. Contact details

Telephone Number.....

Mobile Number.....

Email ID.....

7. Type of Account

Minor

8. (*)Details of Birth Certificate of the depositor

a) Certificate No.

b) Date of Issue

c) Issuing authority

9. Details of other KYC documents attached

1. Proof of identification

2. Address proof

(The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

10. The operation of the account will be:-

(a) By the Guardian till the depositor attains majority.

(b) By the depositor herself on attaining majority,

11. Specimen Signatures

1.....

2.....

3.....

(Name).....

I hereby declare that I have not opened a Sukanya Samridhi Account in the name of the depositor mentioned at serial number 1 in any of the Post office/Bank in the country.

I further declare that I and the depositor both are Resident citizen of India and undertake to inform the account office of any change in our residency/citizenship status in future.

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion Rules, 2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Signature or thumb impression of guardian

Date:.....

Nomination

17. I.....hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in(Name of Scheme) at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee (optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner

1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s).....specified above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt/Kumari.....S/o,D/o,W/o..... Address.....to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

- 1. Signature of witness.....
Name & Address.....
- 2. Signature of witness.....
Name & Address.....

Signature or thumb impression of guardian

Place:

Date:

For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of.....on.....with initial deposit of Rs..... with Account No..... dated.....

Customer identification Number.....

Nomination has been registered vide No.....dated.....

Signature and seal of competent authority.

FORM – 2

**[See sub-paragraph (1) of paragraph 7]
(Application for premature closure of account)**

To,
The Postmaster/Manager
.....
.....

Sir,

1. I wish to prematurely close my Account No..... having balance of(Rupees..... Only) and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty as per details given below:-

Please Credit the amount to my SB Account No. _____ standing at _____ (Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)

3. I hereby declare that the provisions under which the account can be closed before maturity have been complied with.

Necessary documents as applicable are attached as under:-

- 1.
- 2.

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use ofwho is alive and still a Minor.

Date:- _____ Signature or thumb impression of depositor/guardian

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

For office use only

Payment detail

Eligible balance in Account ` . _____

Less Penalty amount ` . _____

Total Amount to be paid ` . _____ (In figures)

(In words) _____

Date Stamp _____ Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)

Received Rs. _____ (In figures) _____ (in words) By cash/cheque/DD bearing No.) _____ dated _____ /by transfer to Account No _____.

Date _____ Signature/thumb impression of depositor/guardian

FORM – 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 8]

(Application for Withdrawal)

To,

The Postmaster/Manager

.....

.....

Sir,

I(Depositor/guardian) hereby apply for withdrawal from my account as per details below:-

Account Number:.....

Amount of withdrawal applied.....

*Certified, that the amount sought to be withdrawn to be availed is required for the use of who is alive and still a Minor.

2. Please Credit the amount of withdrawal to my SB Account no. _____ standing at _____ (Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit of cash payment).

3. I certify that all the conditions applicable under scheme for grant of withdrawal have been complied with.

Necessary documents as applicable are attached as under:-

1.

2.

Date:- _____ Signature or thumb impression of depositor/guardian

Attested By _____

(Attestation is applicable in case of thumb impression)

For office use only

Payment detail

Amount available in Account Rs . _____

Date of Initial Subscription _____

Date on which last withdrawal was allowed _____

Total Amount granted for withdrawal Rs . _____ (In figures)

(In words) _____

Date Stamp

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs . _____ (In figures) _____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.....dated...../by transfer to Account No.....

Date

Signature/thumb impression of depositor/guardian

FORM – 4

[See sub-paragraph (3) of paragraph 9]

(Application for closure of account)

Name of Post Office/Bank _____

Date _____

Account Number _____

1. I hereby submit pass book/deposit receipt book and apply for closure of my above mentioned account.

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no. _____ standing at _____ (Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use ofwho is alive and still a Minor.

Signature or thumb impression of depositor/guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

Date

Payment detail

Principal amount Rs. _____

(+) Interest due Rs. _____

(-) Recovery of overpaid interest Rs. _____

Deduction if any Rs. _____

Total Amount due Rs. _____

Pay Rs. _____ (in figures) _____ (in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs. _____ (In figures) _____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.dated. /by transfer to Account No.

Date

Signature/thumb impression of depositor/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 915(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि स्कीम, 2019 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषा**— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-